न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 20/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मानसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी तिलानेस तहसील डेगाना		तहसीलदार डेगाना, जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 17.08.2022

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 23/2020 सरकार बनाम मानसिंह में निर्णय दिनांक 10.09.2020 के तहत मौजा तिलानेस की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.07.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 7.7.2021 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 10.09.2020 की फोटोप्रति, फोटोग्राफ–9 की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत तिलानेस के प्रमाणपत्र दिनांक 29.06.2021 की फोटोप्रति, तहसीलदार डेगाना के पत्र दिनांक 17.06.2021 की फोटोप्रति, बिजली बिल की प्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी प्रारंभ में नहीं हो सकी थी। अपीलाधीन निर्णय प्रार्थी अपीलांट के पीठ पीछे किया हुआ होने और प्रार्थी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा निर्णय सूचना नहीं मिलने प्रार्थी को अपीलांट अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी इस दौरान विश्वव्यापी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते राज्य भर में तालाबंदी (लॉकडाउन) लग जाने के कारण घरों से बाहर कोई नहीं निकल सकता था तथा सम्पूर्ण परिवहन साधन बंद हो जाने से प्रार्थी अपींलाट वापस डेगाना जाकर मुकदमें की जानकारी नहीं कर सका। अभी पांच दिवस पहले पटवारी ने बताया कि अगले कुछ दिनों में प्रार्थी अपीलांट का मौके पर कब्जा हटाकर प्रार्थी अपीलांट को बेदखल किया जायेगा तब प्रार्थी अपीलांट निर्णय की जानकारी होते ही नकल प्राप्त की जो दिनांक 28.06.2021 को नकले प्राप्त कर तत्काल ही अपील पेश की। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–खसरा संख्या 384 राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से रास्ता दर्ज है। वास्तव में मौके पर कभी भी ऐसा रास्ता मौजूद नहीं रहा है। गांवों में हमेशा सामान्यत 16 से 20 फुट चौडे रास्ते चलते है जिसमे से

अपर कलक्टर, नागौर

आमने सामने से आसानी से दो वाहन जाते है। इससे ज्यादा चौडाई के रास्ते गांवों में नहीं होते है। रास्ते हमेशा एक चौडाई में चलते है। राजस्व नक्शें में इस रास्ते को एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक समान चौडाई में नहीं दिखाया गया है अपितु रास्ते को बीच में कम से कम तीन सौ फुट चौडा बताया गया है। तीन सौ फुट चौडा रास्ता तो राष्ट्रीय राजमार्ग का ही नहीं होता है। इस प्रकार राजस्व नक्शा, राजस्व रेकर्ड में दिखाया गया रास्ता गलत होते हुए भी तथा मौके पर इस तरह का रास्ता कभी नहीं चलने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर किसी प्रकार का गौर किये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है इसलिए अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट अतिक्रमी नहीं है। अपीलाण्ट के बडेरे इसी स्थान पर बसते थे। पूर्वजों के समय से वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट के कब्जे रहवास, स्वामित्व निवास में चली आ रही है। पहले अपीलांट के पूर्वजों के कच्चे रहवासी बाडे थे। अब पिछले बीस पच्चीस वर्षो से अपीलाण्ट के पक्के मकान बने हुए है। अपीलाण्ट ने अपने जीवन भर की सारी खून पसीने की कमाई अपने इस मकान पर लगा दी। अब यदि अपीलाधीन आदेश की पालना में अपीलाण्ट को वादग्रस्त भूमि पर से बेदखल किया जाता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नहीं हो सकेगी।

{2}(IV)–वादग्रस्त भूमि पर बडेरों के समय से अपीलाण्ट का रहवासी निवास होने से और भूमि पुस्तैनी होने से यह भूमि अपीलाण्ट के स्वामित्व की भूमि है।

{2}(V)– वादग्रस्त भूमि आबादी क्षेत्र के बिल्कुल चिपती आई हुई है। खसरा संख्या 384 की इस भूमि पर लगभग 100 से ज्यादा लोगो के बडेरों के समय से कच्चे पक्के रहवासी मकान, बाडे आये हुए है तथा ये सब एक ही चक में है तथा अपीलाण्ट सहित लगभग सभी लोगो को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सरकारी सहायता राशि सरकार द्वारा दी गई है। यह राशि अतिक्रमियों को नहीं दी जाती। एक तरफ सरकार ने इस खसरे में पूर्वजों के समय से बने कच्चे पक्के मकानों के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराई है, दूसरी तरफ सरकार के प्रतिनिधि अपीलाण्ट व इस खसरे में बसे लोगों के गलत बने राजस्व रेकर्ड के आधार पर आशियानें उजाडने का निर्णय पारित किया है जिस निर्णय को कायम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

{2}(VI)– अपीलाण्ट सहित इस खसरे में बसे अधिकाशः लोगों के मकानों पर पिछले दस बारह सालों से बिजली कनेक्शन दिये हुए है। पिछले सौ सालों में कभी अपीलाण्ट व इस खसरे में बसे लोगों को कभी नहीं छेडा गया, अब किसी की झूठी शिकायत तथा पटवारी की झूठी रिपोर्ट व झूठे राजस्व रेकर्ड के आधार पर अपीलाण्ट के विरूद्व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की गलत कार्यवाही की गई है।

{2}(VII)–आर.आई. द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी उपरोक्त तमाम तथ्यों की पुष्टि होती है। ग्राम पंचायत के द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि अपीलाण्ट व इस खसरें में बसे लोग अतिक्रमी नहीं है।

{2}(VIII)– अपीलांट व उसके परिवार के सदस्यों की मतदाता सूची, आधार कार्ड वगैराह सब इसी जगह के बने हुए है। इस खसरे में बसे कई लोगों को पटटे भी जारी किए गए है। इस प्रकार से यह सम्पूर्ण भूमि मौके पर आबादी भूमि है तथा आबादी भूमि के बाबत् तहसीलदार को भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। तहसीलदार की सारी कार्यवाही बिना क्षेत्राधिकार की होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IX)–अपीलाण्ट व इस खसरे में बसे अन्य लोगों के अधिकारों का निस्तारण भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 जैसी संक्षिप्त प्रक्रिया के अन्तर्गत नही किया जा सकता है इसलिए भी अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

{2}(X)–अपीलांट को साक्ष्य सबूत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने से अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(XI)–अपीलाधीन निर्णय अवैध, अन्यायोचित तथा पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने से भी अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(XII)–मौके पर किसी प्रकार की रूकावट रास्ते में नहीं है। 16 फुट का रास्ता शुरू से ही मौके पर रहा है जो मौके पर खुला है तथा आवागमन में कोई रूकावट नहीं है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(XIII)–अपीलांट भूमिहीन कास्तकार है। गांव में अन्य कोई रहवासी मकान, बाडे अपीलांट के नहीं है। यदि अपीलाण्ट के मकान को तोडने और बेदखल करने के आदेश को अपास्त नहीं किया गया तो अपीलाण्ट को अपने पुस्तैनी रहवासी मकान से बेघर होना पडेगा। अपीलाधीन सभी निर्णय एक ही भाषा में साईक्लोस्टाईल तरीके से निकाले हुए है जो छपा छपाया है और बीच में छोडे खाली रिक्त स्थानों को भरा गया है जिससे प्रतीत होता है कि बिना जांच किए, बिना दिमाग को काम में लिए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी (NUC) 1980 पेज संख्या 116, आरबीजे (3) 1996 पेज संख्या 360, आरएलडब्लू 2003 (4) SC पेज संख्या 509 नजीरे पेश की।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा तिलानेस में स्थित राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके तिलानेस की राजकीय भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर